



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BANGALORE - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.1279**

**मद/For Item : इंटीग्रेटेड जनरेटर कन्ट्रोल एण्ड प्रोटेक्शन यूनिट पार्ट सं.224800000/  
Integrated Generator Control & Protection Unit, Pt. No 224800000**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज प्रभाग, बाराबंकी रोड लखनऊ - 226 016 द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित "इंटीग्रेटेड जनरेटर कन्ट्रोल एण्ड प्रोटेक्शन यूनिट" पार्ट सं.224800000 को आरेखन सं.224800000-103 इश्यू 1 के अनुसार एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर(एएलएच) में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए(लखनऊ) के समन्वय से टाइप तकनीकी विनिर्देश सं.224800000-224 इश्यू-एच और टाइप टेस्ट शेड्यूल सं.224800000-224 इश्यू-एफ के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह उत्पाद परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित विनिर्देश/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

*This is to certify that the "Integrated Generator Control & Protection Unit", bearing the Part No 224800000 designed, developed and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Ltd, Accessories Division, Barabanki Road, Lucknow-226016, is hereby approved for production as per drawing No. 224800000-103 Issue 1, for use in Advanced Light Helicopter (ALH). It has been tested as per type Technical specification No. 224800000-224 Issue-H, and Type Test Schedule No. 224800000-154 Issue-G, in co-ordination with RCMA (Lucknow). The product has met the requirements of the specification/tests as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.*



2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अनंतिम निकासी सुपरसीड होती है। ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये।

*The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है।

*This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

4. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2012 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संगत दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए.((लखनऊ), द्वारा एचएएल हेलिकॉप्टर प्रभाग, विमानपुरा पी.ओ, बेंगलोर - 560 017 से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid up to 30 June 2012 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Lucknow), C/o HAL Lucknow Division Lucknow-226 016, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.*

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या इसके साथ संलग्न टाइप रेकार्ड में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।


*Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes within the Type Record Compliance Statement enclosed herewith are effected.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No.: सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए./TA- 1279

दिनांक/Date : 29 Aug 2007

फैक्स सं/Fax No: 080-25121026

  
(के.तमिलमणि/K.TAMILMANI)  
Outstanding Scientist  
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)

22/9/07 22/09/07